**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**20.08.2025 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4568 का उत्तर**

**आरपीएफ द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन**

**†4568. श्री अबू ताहेर खान:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों, अल्पसंख्यक समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) प्रोटोकॉल लागू करने की योजना बना रही है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) क्या सरकार ने विभिन्न ज़ोन/मंडलों में आरपीएफ कर्मियों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की निगरानी के लिए कोई प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ग) रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जो रेल मंत्रालय के अधीन संघ का एक सशस्त्र बल है, ने मानवाधिकारों के पालन के प्रति अपनी संवेदनशीलता का निरंतर प्रदर्शन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलवे सुरक्षा बल कर्मी इस क्षेत्र में पारंगत हों, मानवाधिकार विषय को सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है, जिसमें प्रारंभिक, पदोन्नति, पुनश्चर्या और पुनरभिमुखन पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मियों को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल्स पर भी जोर दिया जाता है, जिससे रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष सामर्थ्य वाले व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और किसी भी व्यक्ति के**

साथ लिंग, समुदाय या अन्य कारकों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक बातचीत कर सकें। प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन गतिविधियों की गहन निगरानी की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा किसी भी अनुचित आचरण या मानवाधिकारों के उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और सही सिद्ध होने पर कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) या राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी मामलों या उल्लंघनों को उनके निर्देशों के अनुपालन के साथ शीघ्रता से निपटाया जाता है।

******